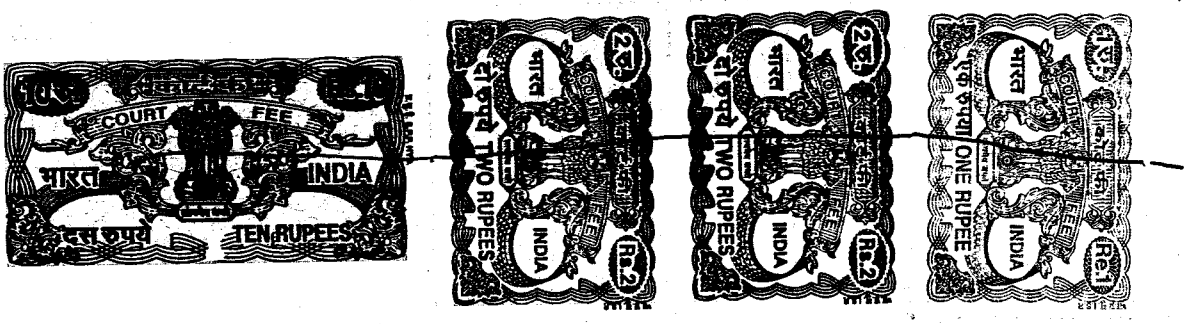

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक   /2014 जिला–कटनी अपील A 3053-II/14

सौरभ कुमार गोयल पुत्र श्री राकेश कुमार गोयल, निवासी ग्राम गुदरी तहसील बाहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र.)
.... अपीलार्थी

आज दिनांक 11-9-14 को के.के. द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत।
11-9-14

विरूद्ध

1. जियालाल पुत्र श्री बसोरी भूमियाँ
2. दुखीया पुत्र श्री बसोरी भूमियाँ
3. हल्लू पुत्र श्री दीना आदिवासी
4. सललू पुत्र श्री दीना आदिवासी निवासीगण ग्राम गुदरी तहसील बाहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र.)
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी ...... प्रत्यर्थीगण

K.K. Dwivedi Adv
11/9/14

न्यायालय एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 708/बी–108/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

मामनीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी द्वारा उपरोक्त प्रकरण को जन सुनवाई में लिया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी थीं। जबकि किसी भी प्रकरण को जन सुनवाई में नहीं लिया जा सकता है बल्कि जन सनवाई एवं न्यायालीन कार्यवाही दोनों एक दूसरे के विपरीत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3058–दो/2014 जिला– कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-10-2015	प्रकरण का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा यह अपील एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 708/बी–108/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.07.2014 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत् पेश की गयी है। 2– यह प्रकरण नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा दिनांक 16.05.2011 को प्रतिवेदन कलेक्टर कटनी को पेश किया, कि राजेश चौधरी प.ह.न. 76/35 द्वारा ग्राम गुदरी स्थित भूमि खसरा नं. 154 रकवा 1.85 है0 जो राजस्व अभिलेखों में जियालाल पुत्र बसौरी जाति भूमियां के नाम दर्ज हैं को बिना किसी नामान्तरण आदेश के सौरभ कुमार पुत्र राकेश कुमार गोयल के नाम पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त पुनः प्रविष्टी कर नाम दर्ज किया गया। पटवारी द्वारा पेश प्रतिवेदन दिनांक 08.06.2011 में लेख किया गया है, ग्राम गुदरी प.ह.न. 76/35 स्थित भूमि खसरा नं. 154 रकवा 1.85 है0 पर जियालाल, दुखीलाल पुत्र बसौरी हल्लू सल्लू पुत्र दीना भूमियां आदिवासी के नाम वर्तमान में अभिलेख में दर्ज है उक्त भूमि की रजिस्ट्री सौरभ कुमार पुत्र राकेश कुमार गोयल निवासी दिल्ली ने जियालाल दुखीलाल पुत्र बसौरी भूमियां की जाति चमार लिखाकर करायी गयी। इस तरह नामान्तरण विखंडित होने से भूमि का नामान्तरण नहीं कराया गया। अपीलार्थी द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि उसने पंजीकृत वयनामा दिनांक 11.10.2008 से भूमि खरीदी है ऐसी	

स्थिति में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का छलकपठ एवं प्रपंच नहीं किया है। किन्तु अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2014 से रजिस्ट्री शून्य घोषित की जाकर यथावत प्रवृष्टी राजस्व अभिलेखों मे विक्रेतागण के नाम किये जाने के आदेश के साथ क्रेता के विरूद्व धोखा धडी/जालसाजी का प्रकरण दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपील एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो आदेश दिनांक 23.07.2014 से अग्राहय कर दी गयी जिसके विरूद्व इस न्यायालय में समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

3– प्रकरण में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को यह बताया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र से क्रय की गयी है, और ऐसे विक्रय पत्र को जबतक व्यवहार न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक उसे अवैध नहीं माना सकता इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्यवाही व्यवहार न्यायालय में नहीं की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह नायब तहसीलदार स्लीमनावाद के एक पक्षीय प्रतिवेदन पर आधारित है, जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नही है अतः ऐसे अवैध प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है इस तथ्य अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– यहकि, उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् सूचना के पश्चात् प्रत्यर्थीगण उपस्थित नहीं हुये है, इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी क्रमांक 4 शासन की और से सूची अभिभाषक उपस्थित हुये है और उन्होने अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश के स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है।

5– उभय पक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का विधिवत् अवलोकन किया गया, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नायब तहसीलदार स्लीमनावाद के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गयी है, जबकि इस प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ नही की जा सकती जहाँ तक संहिता की धारा 165 (6) दो के तहत् प्रश्नाधीन भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से विधिवत् प्रतिफल भुगतान करने के पश्चात् क्रय की गयी थी ऐसी स्थिति मे पंजीकृत विक्रय पत्र की वैधता के संबंध में जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अपर कलेक्टर जिला कटनी द्वारा अपने आदेश में रजिस्ट्री को शून्य घोषित किया गया है जो विधिवत् एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है, वह अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2014 एवं एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2014 अपास्त किये जाते है, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य